

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 नवम्बर 2015—कार्तिक 19, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्र. एफ बी-4-08-2015-2-पांच (20).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन की इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग एवं ई-रजिस्ट्रीकरण पद्धति "सम्पदा" को "संरक्षित प्रणाली" के रूप में अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्राधिकृत किए गए निम्नलिखित व्यक्ति ही उन्हें सौंपी गई भूमिका तथा विशेषाधिकार के आधार पर, संरक्षित प्रणाली तथा उसकी कार्यात्मकता तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात होंगे, आर्थात्:—

1. महानिरीक्षक पंजीयन.
2. संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन.
3. उप महानिरीक्षक, पंजीयन.
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक.
5. वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक.
6. पंजीयन लिपिक/सहायक ग्रेड-3/सहायक ग्रेड-2/मेकर.
7. सेवा प्रदाता.
8. पंजीकृत उपयोगकर्ता.
9. महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्र. एफ बी-4-08-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-08-2015-2-पांच (20), दिनांक 10 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th November 2015

No. F. B-4-08-2015-2-V (20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), the State Government, hereby, notifies the Electronic Stamping and Registration System—“SAMPADA” of the Commercial Tax Department, Government of Madhya Pradesh, as a “Protected System”.

Only following persons authorized by the Commercial Tax Department, Government of Madhya Pradesh, shall be allowed to access the protected system and its functionality based on their assigned role and privilege, namely:—

1. Inspector General of Registration.
2. Joint Inspector General Registration.
3. Deputy Inspector General Registration.
4. Senior District Registrar/District Registrar.
5. Senior Sub registrar/Sub Registrar.
6. Registration Moharrir/AG-3/AG-2/Maker.
7. Service Providers.
8. Registered Users.
9. Any other person authorised by IGR.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.